SOME PHOTOGRAPHS AND NEWSPAPER CUTTINGS RELATED TO LEGAL AWARENESS PROGRAMMES CONDUCTED BY DIFFERENT DISTRICTS ON THE OCCASION OF INTERNATIONAL WOMEN'S WEEK, 2023 IN BIHAR

BIHAR STATE LEGAL SERVICES AUTHORITIES, PATNA

1. ARARIA

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया
आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत महिलाओं के
अधिकार एवं कल्याण विषय पर जागरुकता कार्यक्रम
Shot on Y12
Vivo AI camera

विधिक जागरूकता शिविर में फरकिया पंचायत के ग्रामीणों ने लिया हिस्सा

समय वार्ता संवाददाता, रानीगंज (अररिया)। प्रखंड के फरकिया पंचायत भवन में पंचायत के समस्त वार्डों के ग्रामीणों के बीच विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों के संबंध में शिविर लगाकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया।

यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय, अररिया के आदेश पर किया गया।

इस जागरूकता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार अररिया के पैनल अधिवक्ता श्री शैलेंद्र कुमार शरण एवं पी.एल.वी. मो.अरमान ने उपस्थित होकर लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मिलने वाली कानूनी सहायता, सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं से मिलने वाले लाभों को, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय महिला सप्ताह 04 मार्च से 11 मार्च 2023 के संदर्भ में महिलाओं के अधिकारों, जैसे - डावरी एक्ट, नालसा स्कीम्स 2016, पी.सी, पी.एन.डी, टी-एक्ट, फैमिली मैटर्स, विक्टिम कंपनसेशन, बालक-बालिकाओं की शिक्षा एवं आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13 मई 2023 के संदर्भ के साथ ही विभिन्न अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बतलाया। लोगों के बीच पंपलेट, हैंडबिल का वितरण किया गया।

विधिक जागरूकता शिविर कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीण

साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार अररिया कार्यालय का संपर्क नंबर लोगों में बांटा गया। इस विधिक जागरूकता शिविर में आए हजारों महिलाओं, पुरुषों, वृद्धजनो को अपनी-अपनी समस्याओं तथा अधिकारों को लेकर संबंध कार्यालय में आने की बात बताते हुए उचित न्याय होने एवं वंचितों को लाभान्वित कराने का विश्वास दिलाया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं सरकारी योजना, कानूनी सहायता और इनसे मिलने वाले लाभों को उदाहरण पूर्वक बतलाकर लोगों को जागरूक किया गया।

शिविर में फरकिया पंचायत के वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि तौसीफ अहमद, वार्ड सदस्य- दयानंद यादव, वार्ड पंच, जीविका ग्रुप संचालक रत्नाकर कुमार, जीविका सी.एम-गीता कुमारी, संगीता देवी, रौशनी खातून, अन्य जीविका दीदीयां, साथ ही भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

2. BANKA

PROGRAMME FOR WOMEN
COLLABORATION WITH NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
MARCH 2023 to 11 MARCH 2023)
RIGHT AND EMPOWRMENT OF WOMEN
SERVICES AUTHORITY, BANKA (BIHAR)
SARVODAY NAGAR DEGREE COLLEGE, SAMUKHIYA MORE,
Shot on narzo 50A

3. BHOJPUR (AARAH)

Samsung Quad Camera
Shot with my Galaxy A21s

महिला दिवस सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन

आरा (एसएनबी)। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश कुमार की अध्यक्षता में विद्या भवन सभागार 4 से 11 मार्च तक चलाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सचिव मिथिलेश कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के अवसर पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रगट करने हेतु महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों एवं कठिनाईयों की सापेक्षता के उपलक्ष में उत्सव के तौर पर यह मनाया गया। बैठक में माया सिन्हा, अनिता कुमारी, सरोज कुमारी सहित पर्यवेक्षिका, महिला पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक उपस्थित थी।

4. KATIHAR

IN COLLABORATION WITH
NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
"TOPIC: LAWS, RIGHTS AND ENTITLEMENTS OF WOMEN"
DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY, KATIHAR (BIHAR)
Date:- 04-03-2022
Venue:- ADR Building, Civil Court, Katihar
Anil Kumar Ram
ADJ-Cum-Secretary
DLSA, Katihar
Jitendra Kumar
DLSA, Katihar
Udyan Mishra
DLSA, Katihar
Hemant Kumar Tripathi
DLSA, Katihar
जिला विधिक सेवा प्राधिकार
कटिहार

कटिहार 05-03-2023

अनुरोध किया गया। बैठक में पुलिस

पुलिस पदाधिकारी से संपर्क किया जा

उपस्थित थे।

अन्य ग्रामीण मौजूद थे।

पहल • राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से लोगों को किया जाएगा जागरूक

शिविर लगाकर महिला अधिकार और कानून की लोगों को दी गई जानकारी

भास्कर न्यूज़। कटिहार

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, हेमंत कुमार त्रिपाठी के निर्देशानुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनिल कुमार राम की उपस्थिति में राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से "महिला के अधिकार एवं कानून" से संबंधित विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमे सभी न्यायिक पदाधिकारीगण भाग लिए । आयोजन के क्रम में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय कुमार झा द्वारा महिला के अधिकार के सन्दर्भ में चर्चा किया गया साथ ही उनके द्वारा महिलाओं के नाम यह सन्देश दिया गया कि वे अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखे। इसी क्रम में अपर प्रधान न्यायाधीश साहब कौशर तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन रमण द्वारा भी महिलाओं से संबंधित कानून विशेष कर दहेज प्रताड़ना, पोक्सो अधिनियम एवं पीड़ित प्रतिकार योजना पर जानकारी दी गई । इस आयोजन को आगे बढ़ाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनिल कुमार राम के द्वारा आयोजन का मुख्य शीर्षक अर्थात महिलाओं सबंधित क़ानून, योजना तथा विधिक सेवा प्राधिकार से महिलाओं को दी जा रही विधिक सेवा या सहायता पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया । जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के द्वारा महिलाओं के अधिकार एवं संरक्षण तथा इनसे संबंधित कानून पर विस्तृत रूप जानकारी दी गई । इस अवसर पर किसले शर्मा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आई सी डी एस कटिहार, प्रभा पाण्डेय, समन्वयक महिला हेल्पलाइन, कटिहार, पैनल अधिवक्ता सहित मंच संचालक आशीष कुमार झा, विजय शंकर झा, सिंटू कुमार सहित सभी पारा विधिक स्वयंसेवक उपस्थित थें।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जिला जज व अन्य।

5. KHAGARIA

विवाद के निपटारे हेतु शनिवार को बीरपुर थाना परिसर में जनता दरबार का ... ने बताया कि पूर्व के 12 एवं 3 नये मामलों की सुनवाई की गई। जिसमें से 5 ... 10 मामलों की सुनवाई हेतु अगली तिथि निर्धारित करते हुये दोनों पक्षों को ... समरेन्द्र कुमार, राजस्व कर्मचारी सूरज कुमार, देवेन्द्र कुमार आदि मौजूद थे।

—— एक रिपोर्ट

...ठक संपन्न

...किया बरामद

...रफ्तार

...पीआई ने दिया

खबरें एक नजर में

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित

खगड़िया। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से रविवार को महिलाओं से संबंधित कानूनी विषय पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में व्यवहार न्यायालय परिसर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त जानकारी देते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजुला भारती द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार आदित्य सुमन, प्राधिकार के सचिव रंजुला भारती, रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित सीमा एवं सुनिता श्रीवास्तव द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को कानून में दिये विभिन्न अधिकार एवं उनके लिए बनाये गये कानून के प्रति जागरूक करना था। बारी-बारी से रिसोर्स पर्सन द्वारा उपस्थित महिला प्रतिभागियों को विवाह, तलाक भरण पोषण, घरेलू हिंसा, दहेज हेतु हत्या, तेजाब हमला, पोक्सो एक्ट, पी०डी० एवं पी०एन०डी०टी० एक्ट, कार्यस्थल पर यौन दुर्व्यवहार आदि हेतु बनाये गये कानून एवं उसमें दिये प्रावधान से उपस्थित महिलाओं को अवगत कराया गया। ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे लोग इसका लाभ स्वयं उठा सकें या किसी अन्य जरूरतमंद महिलाओं को इस संबंध में जानकारी दे सकें। साथ ही उनसे अनुरोध किया गया कि उक्त प्राप्त जानकारी को अपने तक ही सीमित नहीं रखें। समाज एवं आस-पड़ोस के लोगों को भी बतावें। उक्त के अतिरिक्त कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली निःशुल्क कानूनी सेवा के संबंध में भी महिलाओं को बताया गया तथा उनसे आग्रह किया गया कि किसी भी प्रकार की सहायता के लिए वे लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सम्पर्क कर सकती हैं।

उद्घाटन करते अतिथि।

वृद्ध गरीब को बचाने के लिए युवा ने किया रक्तदान

खगड़िया। शहर के बापू नगर बलुआही निवासी इंद्रजीत कुमार ने पूर्व वार्ड पार्षद रणवीर कुमार के पहल पर सदर अस्पताल में भर्ती 70 वर्ष के गरीब वृद्ध विष्णुदेव साह को ब्लड डोनेट किया। ...

रक्तदान करते इंद्रजीत कुमार।

महिलाएं आज विभिन्न क्षेत्रों में परचम लहरा रही हैं : प्रभारी जिला जज

दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उदघाटन करते जिला जज • जागरण

चार से 11 मार्च तक अंतरराष्ट्रीय महिला सप्ताह का किया गया है आयोजन, आठ मार्च को भी आयोजित किए जाएंगे कई कार्यक्रम

जागरण संवाददाता, खगड़िया : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में खगड़िया विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का आयोजन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजुला भारती के अनुसार चार से 11 मार्च तक अंतरराष्ट्रीय महिला सप्ताह का आयोजन किया गया है। इसको लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इधर विधिक सेवा सदन खगड़िया में रविवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसकी अध्यक्षता प्रभारी जिला जज आदित्य सुमन ने की। कार्यक्रम का उदघाटन प्रभारी जिला जज एवं विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर प्रभारी जिला जज ने कहा कि महिलाएं आज विभिन्न क्षेत्रों में परचम लहरा रही हैं। संविधान ने महिलाओं को कई कानूनी अधिकार दिए हैं।महिलाओं के अधिकार संरक्षण हेतु घरेलू हिंसा कानून, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डायन प्रतिषेध अधिनियम, भरण पोषण कानून समेत अन्य कानून बनाए गए हैं। इस मौके पर अधिवक्ता सीमा एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता श्रीवास्तव ने उपस्थित प्रतिभागियों को महिला के कानूनी अधिकार के संबंध में जानकारी दी।

LEGAL AWARENESS PROGRAMME IN COLLABORATION WITH
NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
On Occasion of International Women's Week
From 04.03.2023 to 11.03.2023
"TOPIC : LAWS, RIGHTS AND ENTITLEMENTS OF WOMEN"
DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY, KHAGARIA (BIHAR)
Venue : ADR Building, Civil Court, Khagaria
खगड़िया
विधिक सहायता संवैधानिक अधिकार है
प्रतीक्षालय

6. MUNGER

LEGAL AWARENESS PROGRAMME OF
WOMEN EMPOWERMENT UNDER COLLABORATION WITH
NALSA - NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
TOPIC : LAWS, RIGHTS AND ENTITLEMENTS OF
DISTRICT LEGAL SERVICES ATHORITY,

7. JAMUI

ent In Collaboration With
nission For Women & NALSA
Venue:- ADR Building,
email add:
DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY
JAMUI

8. PURNIA

हिन्दुस्तान

महिला दिवस | अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर न्यायाधीशों ने की महिला के अधिकारों की वकालत, कोर्ट महिला दिवस के अवसर पर कोर्ट परिसर में कार्यक्रम का आयोजन

11 मार्च तक महिलाओं के अधिकार व कल्याण विषय पर जागरूकता अभियान

पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर न्यायाधीशों ने महिला के अधिकारों की वकालत की। इसके लिए जागरूकता लाने की जोर दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने महिला सप्ताहिक दिवस के तहत 4 से 11 मार्च तक महिलाओं के अधिकार एवं कल्याण विषय पर जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में शनिवार को कोर्ट परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसकी अध्यक्षता जिलाजज सुजीत कुमार सिंह कर रहे थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को जोर देते हुए कहा कि अलग एक लड़की शिक्षित होगी तो दो परिवार शिक्षित होंगे। इस दिशा में महिला शिक्षिकाओं की भूमिका अहम हो जाती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पर्यवेक्षक और शिक्षिकाओं ने भाग लिया।

शनिवार को कार्यक्रम को संबोधित करते जिलाजल।

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्जवलन से की गई। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अरविन्द ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानून की जानकारी दी। खासकर नाबालिगों के लिए लागू पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया। वहीं संविधान की प्रस्तावना के साथ-साथ घरेलू हिंसा को लेकर सरल भाषा में महिलाओं को समझाने हुए महिलाओं के सम्मान के विपरीत प्रथाओं को त्याग देने की अपील की। पॉक्सो कोर्ट की ही न्यायाधीश सुलेखा झा ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि हमें खुद में सुधार करना होगा।

बेटियों को भी बेटे के बराबर शिक्षा का अधिकार

बेटे और बेटियों के अंतर का खत्म करना जरूरी है। बेटियों को भी बेटे के बराबर शिक्षा का अधिकार है। परिवारिक निर्णय में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। उसे केवल किचेन तक सीमित नहीं रखना चाहिए। एडीजे अर्चना श्रीवास्तव ने महिलाओं की शिक्षा को अहम बताते हुए कहा कि महिलाएं जब शिक्षित होगीं तभी उनका सशक्तिकरण होगा। इसके लिए महिलाओं में जागरुकता लाना जरूरी है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धीरज कुमार भास्कर, बार एसोसिएशन के सचिव कन्हैया सिंह, महिला थानाध्यक्ष किरण बाला, अधिवक्ता विनीता सिन्हा आदि ने भी महिलाओं के अधिकार को लेकर विचार प्रकट किए।

उत्कृष्ट कार्य करने वालीं महिलाएं हुईं सम्मानित

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। महिला दिवस पर बायसी प्रखंड सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभन्नि क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को अनुमंडल पदाधिकारी कुमारी तोसी, बीडीओ नूतन कुमारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी मनीषा कुमारी के अलावा विभिन्न पंचायतों की महिला मुखिया द्वारा अपने-अपने पोषक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

उत्कृष्ट कार्य करने वालीं महिलाओं को सम्मानित करते हुए अधिकारी ।

महिलाओं की भागीदारी सुनश्चिति के लिए योजनाएं को किया जाता संचालितः अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि आप सभी अपने-अपने घरों एवं विभिन्न विभागों में कार्य कर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन बखूबी कर रही हैं। बायसी प्रखंड ही नही बल्कि अनुमंडल क्षेत्र की सभी महिला जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता अभियान में अपनी महती भूमिका निभा रही हैं। सरकार की ओर से महिलाओं के लिए विभन्नि प्रकार की योजनाओं को संचालित किया जाता है।

[redacted]

जिला विधिक सेवा प्राधिकार में महिलाओं के अधिकार एवं कल्याण विषय पर सेमिनार

संविधान में महिलाओं को बराबरी का प्रावधान : जज

भास्कर न्यूज़ | पूर्णिया

अंतरराष्ट्रीय महिला सप्ताह पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रांगण में एक महिलाएं के अधिकार एवं कल्याण विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया।इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुजीत कुमार सिंह, अपर न्यायाधीश महावीर प्रसाद, उमेश कुमार, रंजन मिश्रा, अतुल कुमार सिंह राजीव रंजन सहाय के अलावे जिला अधिवक्ता संघ के सचिव कन्हैया सिंह ,महिला थाना अध्यक्ष श्रीमती

महिलाएं के अधिकार एवं कल्याण विषय पर आयोजित सेमिनार।

किरण वाला, महिला शिक्षिका गण, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक व अन्य अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर जिला जज ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संविधान में महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी का प्रावधान है, लड़की अगर शिक्षित होती है तो दो परिवार शिक्षित होता है।

अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट अरविंद ने पोक्सो एक्ट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने संविधान की चर्चा करते हुए कहा कि ऐसी प्रथा जो महिलाओं के प्रतिकूल हो उसे त्याग देना चाहिए। अपर न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुलेखा झा ने महिलाओं के सशक्तिकरण के बारें में कहते हुए कहा कि लड़कियों में शिक्षा सबसे जरूरी है। मां-बाप को बेटा व बेटी दोनों को समान रूप से पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए।वहीं सेमीनार को संबोधित करते हुए अपर जिला न्यायाधीश रचना श्रीवास्तव ने कहा कि महिलाओं को देवी स्वरूप माना जाता है। सभी महिलाएं को शिक्षित होना जरूरी है। वहीं अपर जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार धीरज कुमार भास्कर ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा महिलाओं के उत्थान एवं अधिकार के लिए जागरूकता कार्यक्रम समय-समय पर किया जाता है। वर्ष 20 22 में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा 300 केस में अधिवक्ता की नियुक्ति की गई है।विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा एससी -एसटी को सिविल केस में भी कोर्ट फीस विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दी जाती है।वहीं अधिवक्ता संघ के सचिव कन्हैया सिंह ने महिला दिवस पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया।सेमिनार के दौरान अधिवक्ता विनीता सिन्हा व अनुपमा सिंह ने परिवार न्यायालय ,कुटुंब न्यायालय महिलाओं के कार्य क्षेत्र एवं यौनउत्पीड़न एवं अन्य विषय पर विस्तृत रूप से जानकारी दी। महिला थाना अध्यक्ष किरण बाला ने अपने कार्य के दौरान अनुभव अपने अनुभवों को बताया।मंच संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता कृष्णकांत वर्मा ने किया।

9. VAISHALI

दैनिक भास्कर

हाजीपुर 07-03-2023

जागरूक • नालसा की ओर से महिलाओं को दी जाने वाली सहायताओं के विषय में आशा, ममता को दी गई जानकारी

महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर है प्राधिकार : न्यायाधीश

सिटी रिपोर्टर| हाजीपुर

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर जिले में चलाई जा रही महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत आशा, ममता कार्यकर्ताओं को कई अहम जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंतर्गत नालसा की ओर से महिलाओं को मिलने वाले विभिन्न योजनाओं के विषय में न्याशधिश और पैनल अधिवक्ताओं ने जानकारी दिया। नालसा नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्येन्द्र पांडेय के निर्देश पर यह अभियान जिले में ग्यारह मार्च तक मनाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत स्थानीय समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जागरूकता कार्यक्रम शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उदघाटन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार के सचिव देवेश कुमार, जिला भूअर्जन पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी मनोज कुमार , सिविल सर्जन और आईसीडीएस पदाधिकारी ललिता कुमारी ने संयुक्त रुप से की। शिविर का संचालन सुधीर कुमार शुक्ला ने किया। इस दौरान रिसोंस पर्सन सह पैनल अधिवक्ता अंजुवाला सिन्हा, प्रीति कुमारी ने नालासा की ओर से महिलाओं को दी जाने वाली विभिन्न तरह की सुविधाओं और सहायता के विषय में विस्तृत रुप से जानकारी दी।

आशा और आंगनबाड़ी सेविका को जानकारी देते प्राधिकार के सचिव देवेश कुमार

अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 से महिलाएं हुई अवगत

कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी मनोज कुमार और ललिता कुमारी महिला अधिकार सक्सेशन एक्ट, पी.सी. एंड पी.एन.डी.टी. एक्ट, महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीडन, घरेलू हिंसा समस्या व समाधान, मानव व्यापार जैसे विभिन्न मुद्दों पर महिलाओं को जानकारी देते हुए जागरुक किया। वहीं उन्होंने महिलाओं को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 विस्तृत जानकारी दी ।

इन्होंने किया विचार व्यक्त

प्राधिक के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र नयायाधीश देवेश कुमार, न्यायिक पदाधिकारी तारिक शमीम, अंजली कपूर, अनन्या स्मृति, नवनीत कुमार, प्रांजलि प्रकाश, शबनम, निवेदिता, हरिप्रिया ने अपने विचार व्यक्त किये। इस मौके पर ममता, आशा कार्यकर्ता एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार कर्मचारी, पारा विधिक स्वयं सेवक मौजूद थे।

To celebrate International Women's Week under the direction of NALSA, New Delhi & BSLSA, Patna, A legal awareness program on laws relating to women in collaboration with national commission for women was organised on 6/03/2023 at Samvad Kaksha of Samaharnalay Vaishali under the guidance of Ld. District & Sessions Judge -cum-Chairman, DLSA, Vaishali.

The Additional District and Sessions Judge -cum-Secretary DLSA, Vaishali Sri Devesh Kumar along with Civil Surgeon Sri S. N. Prasad and District Land Acquisition Officer cum In charge of Legal Section cum Nodal Officer Sri Manoj Kumar, I. C.D. S. Smt. Lalita Kumari and Resource Persons Learned panel lawyers Mrs. Anjuwala & Mrs. Priti jointly and the Probationary Judicial Officers jointly Lit the inaugural lamp.

Group of Women from Village Communities & Aasha Workers & Mamta Workers participated in this Awareness Program.

VAISHALI

LEGAL AWARENESS PROGRAMME IN COLABORATION WITH
NATIONAL COM ON FOR WOMEN
INTERNATIONA OMEN'S WEEK
DISTRICT LEGAL SERVIC (VAISHALI)
OPPO K3

10. SITAMARHI

Legal Awareness Programme For women, in collaboration of NCW, conducted by DLSA SITAMARHI in Mandalkara among women prisoners

Regards,

BIHAR STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, PATNA